

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 2918
12 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियों का उपलब्धता

2918. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्राचीन आयुर्वेद का पुस्तक/मैनुअल के संग्रह और संरक्षण के लिए कोई उपाय किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरन रोजीज)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर को आयुर्वेद पाण्डुलिपि-विज्ञान के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है। पाण्डुलिपियां और दुर्लभ पुस्तकें के डिजिटाइज़ेशन के लिए संस्थान में एक पाण्डुलिपि एकक स्थापित किया गया है।

केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने आयुष मंत्रालय को केंद्रीय क्षेत्रक स्कोम के तहत पाठ्य पुस्तकें और पाण्डुलिपियों के अधिग्रहण, सूचीकरण, डिजिटाइज़ेशन और प्रकाशन के भाग के रूप में विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। डिजिटिकृत पाण्डुलिपियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- “पूर्व भारत (उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार) का चिकित्सा पाण्डुलिपियों का संवर्धन, सूचीकरण और डिजिटिकृत सूची” शीषक परियोजना के तहत 1679 पाण्डुलिपियां/दुर्लभ पुस्तकें को डिजिटिकृत किया गया है।
- “पूर्वतर भारत का चिकित्सा पाण्डुलिपियों का संवर्धन, सूचीकरण और डिजिटिकृत सूची” शीषक परियोजना के तहत 770 पाण्डुलिपियों को डिजिटिकृत किया गया है।
- “दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से चिकित्सा पाण्डुलिपियों का संग्रहण और डिजिटाइज़ेशन (2008-2012)” शीषक परियोजना के तहत 2703 पाण्डुलिपियों को डिजिटिकृत किया गया है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।
